न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 237/2022

राजेन्द्र सैनी पुत्र बद्रीप्रसाद, गांव कायस्थपुरा, पो0 बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 27.07.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.07.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 237/2022 पर दिनांक 01.07.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/2970–71 दिनांक 01.07.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक रीडर/आर0टी0आई0/2022/1707 दिनांक 22.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री राजेन्द्र सैनी पुत्र बद्रीप्रसाद, जाति माली, निवासी कायस्थपुरा, तहसील व जिला झुंझुनूं द्वारा चाही गई समस्त सूचना प्रश्नात्मक है। अतः सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रश्नोत्तर सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान नही है जो इस कार्यालय के पत्र कमांक रीडर/आर0टी0आई0/2022/1624 दिनांक 24.06.2022 के द्वारा आवेदक को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक रीडर/आर0टी0आई0/2022/1707 दिनांक 22.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री राजेन्द्र सैनी पुत्र बद्रीप्रसाद, जाति माली, निवासी कायस्थपुरा, तहसील व जिला झुंझुनूं द्वारा चाही गई समस्त सूचना प्रश्नात्मक है। अतः सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रश्नोत्तर सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान नही है जो उनके कार्यालय के पत्र कमांक रीडर/आर0टी0आई0/2022/1624 दिनांक 24.06.2022 के द्वारा आवेदक को सूचित किया जा चुका है। चूंकि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी को उक्त सूचना दी जा सकती है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 27.07.2022 को खुले [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.01 17:29:52 IST
Reason: SelfAttested

(एल0 [illegible] कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं